09-05-2020 (1)

Pt. Lec. - Keshav Kumar Shrivastava
College - R.M.M. Law College, Saharsa
L.L.B. Part-IIIrd, Labour Law, VI-th Paper.

Describe with reference to the factories Act 1948 the provisions for prior written notice and Contents there of required to be given by the occupier intending to use the premises as a factory.

कारखाना अधिनियम 1948 के सन्दर्भ में परिसर को कारखाना के रूप में प्रयोग करने के इच्छुक अधिभोक्ता (दखलकार) द्वारा पूर्ववर्ती लिखित नोटिस दिये जाने का प्रावधान एवं नोटिस के विषयों का उल्लेख करें।

उत्तर- कारखाने की स्थापना के स्थल (site) का चुनाव स्वामी करता है, स्थल चयन, कारखाने के निर्माण, कार्यारम्भ विस्तार के लिए सरकार या मुख्य निरिक्षक में से किसी एक का पूर्वादेश प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह बात सभी कारखानों के लिए समान रूप से लागू होती है। कारखाना प्रारम्भ करने के पूर्व संयोजना (Plans) और रेखांकनों (specifications) के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। कोई भी व्यक्ति जिसे प्रस्ताव द्वारा सर्वोच्च नियंत्रक बनाया गया है, लाइसेन्स के लिए आवेदन दे सकता है। उसके अनुमोदित हो जाने के बाद ही काम शुरू किया जा सकता है। उस पर गहन विचार विमर्श करने के पश्चात वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रख कर ही कारखाना चलाने की अनुमति दी जाती है। कारखानों के चलाने के लिए पंजीकरण करना, लाइसेन्स लेना तथा निर्धारित फीस जमा करना होता है। एक बार कारखाना चलाने के लिए लाइसेन्स मिलने के बाद भी उसे निरन्तर चलाने के लिए नियमानुसार समय-समय पर लाइसेन्स का नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा ताकि इस बात का पता चलता रहे कि कारखाने की वर्तमान स्थिति क्या है एवं क्या सभी नियमों का पालन हो रहा है, और सभी प्रकार की देय राशि (dues) चुकता कर दी गई या नहीं। इस वक्त राज्य सरकार को विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित नियम बनाने की वृहद शक्ति प्राप्त है। धारा-7 के अनुसार निर्दिष्ट रूप में नोटिस न दिये रहने पर लाइसेन्स नहीं दिया जा सकता या नवीनीकरण नहीं हो सकता।

दखलकार द्वारा नोटिस का दिया जाना—

कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-7 के अनुसार— कारखाने का कोई भी दखलकार अपने परिसर का प्रयोग यदि कारखाने

Scanned with CamScanner

के रूप में करता है तो उसे इसके लिए मुख्य निरीक्षक को कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना देनी होगी जिसमें निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी —

(क) कारखाने का नाम तथा स्थल;

(ख) उसके दखलकार का नाम तथा पता;

(i) परिसरों तथा भवनों के स्वामी का नाम तथा पूरा पता जैसा धारा-93 में निर्दिष्ट किया गया है;

(ग) पता जिसपर कारखाने के सम्बन्ध में संसूचनायें प्रेषित की जा सके;

(घ) अभिनिर्माण- प्रक्रिया की प्रकृति, अर्थात कार्य क्षेत्र, कौन-सा काम होगा, जो कि —

(i) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख पर विद्यमान कारखानों की अवस्था में पिछले महीनों के दौरान कारखानों में की गई है; और

(ii) सब कारखानों की अवस्था में आगामी 12 महीनों के दौरान कारखाने में चलायी जाने वाली है;

(ङ) उपयोग में लायी जाने वाली कुल अश्वशक्ति का प्रकार और परिमाण (मात्रा);

(च) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कारखानों के प्रबन्धक का नाम;

(छ) कारखाने में नियोजित किये जाने वाले कर्मकारों की सम्भावित संख्या;

(ज) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथी पर विद्यमान कारखानों की अवस्था में पिछले बारह महीनों के दौरान नियोजित कर्मकारों की दैनिक औसत संख्या;

(झ) ऐसे अन्य विवरण जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाएं;

(ञ) फैक्ट्री (कारखाना) में लगाए गए या लगाए जाने वाला रेटेड अश्वशक्ति।

कारखाना अधिनियम 1948 के धारा-6 तथा 7 में कारखानों के स्थान, कार्यारम्भ, अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में उपबन्ध हैं।

—:—

Scanned with CamScanner